यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

ोठासीन अधिकारी श्री मनमोहन मीना आर.ए.एस

ार्थना पत्र संख्या 179/2018

शीर्षक

1. हनुमान पुत्र गुलाब चन्द (फोत दोराने वाद)
   1/1 सीता देवी पत्नि हनुमान सहाय
   1/2 विनोद कुमार पुत्र हनुमान सहाय शर्मा
   1/3 कैलाश चन्द शर्मा पुत्र हनुमान सहाय शर्मा
   1/4 किरण देवी पुत्री हनुमान सहाय शर्मा
   1/5 कृपा देवी पुत्री हनुमान सहाय शर्मा
   1/6 अनिता देवी पुत्री हनुमान सहाय शर्मा
2. रामनारायण पुत्र गुलाबचन्द समस्त जाति ब्राहमण निवासी छारसा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती नक्शा व इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 16.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प छारसा में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 1061 को साबिक खसरा नम्बर 1025 से बनना मान कर दुरूस्ती कराना चाहा है। तथा वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.03 है0 गै. मु. जोहडी दर्ज कर दिया गया जबकि साबिक खसरा नम्बर 1025 गै. मु. आबादी था इसलिए आराजी खसरा नम्बर 1661 को भी गै. मु. आबादी दर्ज किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई की गई अप्रार्थी का जवाब पेश किया गया तथा प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत छारसा में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र 01 आर 10 सी.पी.सी. पेश किया गया । जिसकी प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक भी जवाब पेश नही किया गया है। जबकि दिनांक 27.09.2021 की आदेशिका में वकील प्रार्थी को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। कि प्रकरण 01 आर 10 सी.पी.सी का जवाब हेतु यह अन्तिम अवसर दिया जाता है। अंतिम अवसर के पश्चात भी किसी पेशी पर भी कोई जवाब पेश नही किया गया है। जबकि 27.09.2021 को स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर जवाब पेश नही किया गया तो जवाब बन्द समझा जावेगा। वकील प्रार्थी के द्वारा अब तक भी कोई जवाब पेश नही किया गया इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जानबूझ कर देरी की जा रही है। जबकि प्रकरण 136 एल आर एक्ट का है। जोकि अन्दर मियाद 6 माह में निस्तारण होना आवश्यक है। लेकिन हस्तगत प्रकरण वर्ष 2018 से लंबित चला आ रहा है। जिसका हम निस्तारण करना अति आवश्यक आवश्यक समझते है।

प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 1661 जिसकी किस्म गै. मु.जोहड के बजाय गै.मु.आबादी दर्ज कराना चाहता है। लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकार्ड से पाया गया कि हाल खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

1661 साबिक खसरा नम्बर 1025 से नही बना है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 1661 साबिक खसरा नम्बर 1023 ही बना है। तथा प्रार्थी के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1025 से हाल खसरा नम्बर 1655/0.15, 1661/0.03, 1663/0.02, 1664/0.02 कायम किया जाना बताया गया है। जबकि राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट में हाल खसरा नम्बर 1661 साबिक खसरा नम्बर 1023 व 1025 से कायम किया जाना बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा बताये गये साबिक खसरा नम्बर 1025 जिसका रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी। जिसकी हाल प्रणाली से रकबा 0.2875 है0 होता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1025 के हाल खसरा नम्बर 1655, 1661, 1663, 1664 को बनना माना है। जिनका रकबा 0.22 है0 ही होता है। इससे स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 1025 के अन्य नम्बर भी बने है। तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1661 साबिक खसरा नम्बर 1023 व 1025 से बनना बताया है।

प्रकरण में ग्राम पंचायत छारसा द्वारा प्रस्तावित आराजी के संबंध में आपत्ति की है कि गैर मुमकिन जोहडी की भूमि की किस्म परिवर्तन नही की जावे। क्योंकि प्रार्थी की मंशा जोहडे की भूमि पर अतिक्रमण करने की रही है। साथ ही प्रार्थी के द्वारा भी यह सिद्ध नही हो पाया है कि यह भूमि पूर्व में आबादी की थी। चूंकि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1023 गैर मुमकिन जोहडा की भूमि थी जिसके संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत छारसा द्वारा पेश दस्तावेज के साथ भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी पैमाइशी पर्चा मिलान को हाल खसरा नम्बर 1661 का साबिक खसरा नम्बर 1023 से भी बनने का प्रस्तुत किया है। तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल रहमान प्रकरण का हवाला देकर किस्म परिवर्तन किया जाना अनुचित बताया है। प्रार्थी द्वारा भी यह सिद्ध नही हो पाया है कि यह भूमि पूर्व में आबादी की थी। प्रार्थी ने इस संबंध में पट्टा होना भी जाहिर किया लेकिन आजदिन तक भी पट्टा पेश नही किया गया जिसके संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत छारसा ने अपनी आपत्ति के साथ अपनी ग्राम पंचायत छारसा के रिकार्ड के हवाले से बताया है कि प्रार्थी या प्रार्थी के पूर्वजों को उक्त भूमि मे से कोई पट्टा जारी कभी भी नही किया गया है। अतः हाल खसरा नम्बर 1661 साबिक खसरा नम्बर 1025 से कायम होना सिद्ध नही किया जा सकता बल्कि साबिक खसरा नम्बर 1023 से ही बनना सिद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पाया जाता है कि प्रार्थी के द्वारा धारा 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र के संबंध में पेश दस्तावेजात से यह सिद्ध नही हो पाया है कि प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 1661 साबिक खसरा नम्बर 1025 से ही बना है। जबकि सेटलमेंट से जारी पर्चा मिलान में हाल खसरा नम्बर 1661 साबिक खसरा नम्बर 1023 से बनना व तहसीलदार द्वारा पेश पैरोकार रिपोर्ट में साबिक खसरा नम्बर 1023 व 1025 से बनना बताया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)